भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग,
कारपोरेट केन्द्र, मुम्बई

स्टेट बैंक समूह में विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती
(विज्ञापन नं.: सीआरपीडी/एससीओ/2015-16/7)

1. आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने की तिथि: 26.11.2015	2. आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि: 12.12.2015
3. ऑनलाइन शुल्क का भुगतान: 26.11.2015 से 12.12.2015 तक	4. ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलावा पत्र की डाउनलोडिंग: 05.01.2016 के बाद
ऑनलाइन टेस्ट की तिथि: 17.01.2016	

भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक समूह में निम्नलिखित विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। अभ्यर्थियों को बैंक की वेबसाइट **www.statebankofindia.com** या **www.sbi.co.in** के अनुभाग **"careers with us"** में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

कृपया ध्यान दें कि	
1.	इस परियोजना के अंतर्गत एक अभ्यर्थी मात्र एक पद के लिए ही आवेदन कर सकता/सकती है।
2.	आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया तभी पूर्ण होगी जब शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व ऑनलाइन के माध्यम से बैंक में जमा कर दी गई हो।
3.	आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता की तिथि को संबंधित पद हेतु पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के बिना पूर्ण रूप से अनंतिम होगा। अभ्यर्थियों को यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उस समय उनके विवरणों / दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
4.	एक विशेष पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को जहां दो या दो से अधिक बैंकों के रिक्त-पदों, के लिए केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। बैंकों की पसंद, साक्षात्कार के समय प्राप्त की जाएगी। बैंक का आवंटन मेरिट सूची में अभ्यर्थी की रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा।
5.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण और अद्यतन जानकारी बैंक की वेबसाइट **www.statebankofindia.com** या **www.sbi.co.in** पर देख लें।

नीचे दिए अनुसार विभिन्न पदों से संबंधित रिक्त-पद तथा अन्य विवरण

क्रम संख्या	पद और पद का कोड	ग्रेड	बैंक	रिक्त पद								30.11.2015 को आयु		30.11.2015 को शैक्षणिक योग्यता	30.11.2015 को योग्यता के बाद संबंधित पूर्णकालिन अनुभव
				सामान्य	अजा	अजजा	अपिव	कुल	ओएच	वीआई	एचआई	न्यूनतम	अधिकतम		
1.	उप प्रबंधक (विधि) पद कोड: डीएमएलए	एमएमजीएस-II	एसबीआई	20	6	3	11	40	1	–	–	21	38 वर्ष	भारत के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या ऐसा कोई विधि स्नातक जिसने 5 वर्ष वाला एकीकृत विधि पाठ्यक्रम पास किया हो।	विधि स्नातक जो बार काउंसिल के साथ एडवोकेट के रूप में नामांकित हो और जिनके पास एडवोकेट के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का सक्रिय अनुभव हो, (या) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / वित्तीय संस्थाओं (जैसा लिंक मेंबर एसोसिएट के तहत इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के वेब पेज में उल्लेख किया गया है) और राज्य स्तरीय विकास वित्तीय संस्थानों के विधि विभाग में विधि अधिकारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव। बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकन के बाद अनुभव होना चाहिए।
2.	सहायक प्रबंधक (प्रणाली) पद कोड: एएमएसवाई	जेएमजीएस-I	एसबीआई	71	21	10	38	140	2	1	1	21	30 वर्ष	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थानों से कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लिकेशन / इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी / इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन / इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रुमेंटेशन में बीई/बी.टेक (या) इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन / इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रुमेंटेशन / कंप्यूटर साइंस / इन्फॉर्मेशन टेक्नालाजी / कंप्यूटर एप्लिकेशन में एमएससी (या) सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एमसीए।	एक प्रतिष्ठित संगठन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अनुभव, जहां उपलब्ध है, वांछनीय होगा।
			एसबीएम	2	1	1	1	5							

• कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद किसी भी स्तर पर श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

संक्षिप्ताक्षरः

बैंक: एसबीआई – भारतीय स्टेट बैंक, एसबीएम: स्टेट बैंक ऑफ मैसूर

श्रेणी: अजा – अनुसूचित जाति, अजजा – अनुसूचित जन जाति, अपिव – अन्य पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूडी – अशक्त व्यक्ति, ओएच – चलने – फिरने में अशक्त, वीआई: मंद दृष्टि, एचआई: श्रवण बाधित

उपलब्धियाँ:

स्केल संक्षिप्त	स्केल	वेतनमान (₹)	मासिक परिलब्धियाँ लगभग (₹)
जेएमजीएस I	कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I	23700–980/7–30560–1145/2–32850–1310/7–42020	73600–(मुंबई में पट्टे पर लीज रेंटल सहित)
एमएमजीएस II	मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II	31705–1145/1–32850–1310/10–45950	90700–(मुंबई में पट्टे पर लीज रेंटल सहित)

उपप्रबंधक (विधि) और सहायक प्रबंधक (प्रणाली): विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू वेतन ऊपर प्रस्तुत किए गए है। अधिकारी समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी प्रतिपूरक भत्ता, भविष्य निधि, अंशदायी पेंशन निधि, अवकाश किराया रियायत, चिकित्सा, सुविधा आदि के लिए भी पात्र होंगे।

टिप्पणी:

1. जो अभ्यर्थी अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंधित हैं लेकिन जो क्रिमी लेयर में आते हैं वे अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण और आयु में छूट पाने के हकदार नहीं हैं। वे अपनी श्रेणी सामान्य या फिर यथा प्रयोज्य सामान्य (ओएच) दर्शाएं।
2. दर्शाई गई अधिकतम आयु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए है। नीचे बिन्दु क्र. 1 (पात्रता मानदंड) के अनुच्छेद ii का में बताए अनुसार ऊपरी आयु सीमा में उपलब्ध होगी।
3. उपरोक्त आरक्षित रिक्त-पदों सहित रिक्त-पदों की संख्या अनंतिम है और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हो सकती है।
4. अशक्त व्यक्तियों सहित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जिनके लिए यहां कोई आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, वे अनारक्षित पदों हेतु घोषित रिक्त-पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु लागू सभी शर्तों को पूरा करना होगा।
5. मेट्रोपोलिटन केन्द्र मुंबई में पोस्टिंग होने की स्थिति में मिलने वाली प्रति मास कुल परिलब्धियों को दर्शाया गया है। पोस्टिंग के स्थान के आधार पर परिलब्धियां भिन्न हो सकती हैं और समय-समय पर देय महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि का प्रतिशत अलग हो सकता है।
6. अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण समस्तर है और सम्पूर्ण रिक्त-पदों (की संख्या) के अंदर है।

1. **पात्रता मानदंडः**

शैक्षणिक योग्यता/अनुभव : प्रत्येक पद के सामने ब्योरा दिया गया है।

i. विभिन्न पदों के लिए निर्धारित योग्यता न्यूनतम है। दिनांक 30.11.2015 को अभ्यर्थी के पास योग्यता और योग्यता के बाद संबंधित पूर्ण कालिक अनुभव होना चाहिए।

ii. यदि अंकों के स्थान पर सीजीपीए अंक या समरूपी अंक प्रदान किये गए हैं, तो अभ्यर्थी को उस विश्वविद्यालय/ संस्थान से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसने समरूपी प्रतिशत को दर्शाते हुए अंक प्रदान किए हैं।

क) ऊपरी आयु सीमा में छूट

क्र.	श्रेणी	आयु में छूट
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3	अशक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)	अशक्त व्यक्ति (अजा/अजजा)-15 वर्ष (पीडब्ल्यूडी) (अपिव)-13 वर्ष (पीडब्ल्यूडी) (सामान्य)-10 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिकों, एमर्जेन्सी कमिशंड ऑफिसर्स (ईसीओ) सहित कमिशंड अधिकारी/शॉर्ट सर्विस कमिशंड अधिकारियों, जिन्होंने 5 वर्ष तक सैन्य सेवाएं दी हैं और नियत कार्य पूरा करने पर कार्य-मुक्त किया गया हो (जिनका नियत कार्य, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा होनेवाला, सहित), सिवाय कदाचार या सैन्य सेवा में आवश्यकताओं की अकुशलता या शारीरिक अक्षमता या अवैधता के कारण निष्कासन या सेवामुक्ति नहीं हो।	5 वर्ष
5	जम्मू एवं कश्मीर राज्य में दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान सामान्यतः स्थायी रूप से रहनेवाले व्यक्ति	5 वर्ष

टिप्पणी: उपर्युक्त मदों में या किन्हीं अन्य मदों को मिलाकर आयु में संचयी छूट उपलब्ध नहीं होगी।

2. **चलने-फिरने में अशक्त (ओएच) अभ्यर्थियों के लिए टिप्पणियां:**

अस्थि विकलांग (ओएच) और मंद दृष्टि विकलांग (वीएच) अशक्त व्यक्तियों के लिए रिक्तपदों में आरक्षण (समान अवसर, अधिकारों और पूर्ण भागीदारी के संरक्षण) अधिनियम, 1995 के अनुसार रखा गया है।

निम्नलिखित श्रेणियों के अशक्त व्यक्ति आरक्षण का लाभ पाने के लिए पात्र हैं:

अशक्त व्यक्तियों की श्रेणियाँ					
ओए	ओएल	ओएएल	बीएल	बी	एलवी

ओए-एक भुजा, ओएल-एक पैर, ओएएल-एक भुजा और एक पैर, बीएल-दोनों पैर, बी-नेत्रहीन, एलवी-कम दृष्टि

क) ओए और ओएल श्रेणी वाले व्यक्ति को सामान्य से द्विपक्षीय हाथ से कार्य किया जाना चाहिए

ख) दृष्टिहीनता एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां एक व्यक्ति निम्न में से किसी एक से ग्रस्त हो, अर्थात्:-
- i) दृष्टि का कुल अभाव; या
- ii) दृश्य तीक्ष्णता 6/60 से अधिक नहीं या 20/200 (Snellen) में संशोधन लेंस के साथ बेहतर नजर; या
- iii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण subtending या खराब हो;

ग) कम दृष्टि वाले व्यक्ति से आशय है दृश्य कार्यों की हानि के साथ एक व्यक्ति यहां तक कि इलाज या मानक अपवर्तक सुधार के बाद लेकिन जो उचित सहायक उपकरण के साथ एक कार्य के प्लानिंग या निष्पादन के लिए संभावित सक्षम दृष्टि का उपयोग करता है।

घ) केवल ऐसे व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र है जो कम से कम 40 फीसदी प्रासंगिक विकलांग से ग्रस्त है। आरक्षण का लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति को विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय, अधिसूचना सं G.S.R. 2 (ई)। दिनांक 30.12.2009 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार होगा।

ङ) एचआई: श्रवण बाधित से आशय है कान में फ्रीक्वेंसी की संवादी सीमा की साठ डेसीबल या अधिक की हानि।

लेखक व प्रतिपूरक समय का उपयोग:

i) लेखक / रीडर की सुविधा के लिए अनुमति दी जाएगी अगर 40% या उससे अधिक की विकलांगता और लिखने के लिए गति के साथ शारीरिक सीमा हो, अगर उस व्यक्ति द्वारा वांछित है। प्रतिपूरक समय (हर घंटे के लिए 20 मिनट) ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू होगा।

ii) कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा लिखते समय प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी, भले ही वे amanuenses / लेखक या स्वयं लिखने के लिए या सहायक उपकरणों की मदद जैसे मेगनिफायर के लिए चुनते हैं ।

iii) भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय, विकलांगता विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी मुहैया कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 16-110/2003-DD.III, दिनांक 26 फरवरी 2013 के दिशानिर्देशों और भारत सरकार, के वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा पत्र एफ सं.3/2/2013 - वेलफेयर, दिनांक 26.04.2013 के अनुसार जारी स्पष्टकरणों के अनुसार लेखक इस्तेमाल किया जाने की अनुमति दी जाएगी।

iv) जो कोई भी अभ्यर्थी जो उक्त लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार लेखक का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं है और लिखित परीक्षा में लेखक का उपयोग करता है, वह भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी जो लेखक का उपयोग कर रहा है, वह उपरोक्त निर्देशों के अनुसार परीक्षा में लेखक का उपयोग करने के लिए योग्य है कि नहीं यह सुनिश्चित करना चाहिए। जो कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लेखक का उपयोग करता रहा है और पहले से ही बैंक में शामिल हो गया है, तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।

3. **प्रोबेशन अवधि:** सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

4. **चयन प्रक्रिया:**

(i) उपप्रबंधक (विधि) और सहायक प्रबंधक (प्रणाली): अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। अनुमानित रूप से 17.01.2016 को परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा की तारीख बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी दी जाएगी। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वे अपने कॉल लेटर को डाउनलोड करें। परीक्षा अहमदाबाद, वडोदरा, बंगलोर, भोपाल, रायपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, चेन्नई, मदुरै, गुवाहाटी, हैदराबाद,/ सिकंदराबाद, विशाखापटनम, कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी, मुंबई/ग्रेटर मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई, नागपुर, पुणे, देहरादून, जयपुर, नई दिल्ली/दिल्ली/एनसीआर, पटना, रांची, एर्णाकुलम और त्रिवेंद्रम केन्द्रों पर हो सकती है। तथापि, बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी केन्द्र को हटा सकता है या इनमें नए केन्द्र को जोड़ सकता है तथा अभ्यार्थी को उसके द्वारा दिए गए विकल्प के अलावा अन्य किसी केन्द्र पर परीक्षा देने के लिए कह सकता है।

अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे उस केन्द्र का नाम चुनें जहां वे परीक्षा देना चाहते हैं परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा: परीक्षा का पैटर्न

क्र. संख्या	पद	क्रम संख्या	परीक्षा	प्रश्नों की संख्या	अंक	समय
1.	उप प्रबंधक (विधि)	i.	तर्क परीक्षा	70	70*	90 मिनट
		ii.	अंग्रेजी भाषा	50	50*	
		iii.	प्रोफेशनल ज्ञान	50	100	45 मिनट
2 .	सहायक प्रबंधक (प्रणाली)	i.	तर्क परीक्षा	50	50*	90 मिनट
		ii.	परिमाणात्मक अभिरुचि	35	35*	
		iii.	अंग्रेजी भाषा	35	35*	
		iv.	प्रोफेशनल ज्ञान	50	100	45 मिनट

*इसमें मात्र उत्तीर्ण होना है तथा इसमें मिले अंकों को मेरिट लिस्ट में आने के लिए नहीं गिना जाएगा।

परीक्षा ऑनलाइन होगी। जब परीक्षा न होगी तब शार्ट लिस्टिंग करके साक्षात्कार किया जाएगा। जब आवेदन कम होंगे तब बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह परीक्षा लेने की बजाय साक्षात्कार लेने के लिए शॉर्टलिस्ट करके साक्षात्कार लें और अभ्यर्थी के चयन पर विचार करें।

क) प्रोफेशनम ज्ञान (पीके) के पेपर को छोड़कर, अन्य पेपरों में मात्र उत्तीर्ण होना होगा। बैंक द्वारा न्यूनतम प्राप्तांक निर्धारित किए जाएंगे। प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी यानी द्विभाषी रूप में होंगे। अभ्यर्थियों के पास विकल्प होगा कि वे चाहे तो उत्तर हिंदी में दे या फिर अंग्रेजी में (अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़कर)

ख) साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट होने के लिए पात्रता हेतु, अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह पीके के अलावा अन्य परीक्षाओं में न्यूनतम योग्यता अंक या इससे अधिक अंक लाएं। साथ ही पीके परीक्षा के लिए बैंक द्वारा निर्धारित कट ऑफ अंकों के बराबर या उससे अधिक अंक लेकर आएं।

ग) अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किए जाने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम पासिंग अंकों के बराबर या उससे अधिक अंक (जो कि बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे) अभ्यर्थियों को लाने होंगे। साक्षात्कार में, अभ्यर्थी हिंदी का विकल्प भी चुन सकता है।

घ) यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक चयन सूची और प्रतीक्षा सूची दोनों में बराबर रहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को चयन सूची और प्रतीक्ष सूची में उनकी आयु के अवरोही क्रम से रैंक दिया जाएगा।

साक्षात्कार: बैंक द्वारा तथा निर्धारित पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने हेतु अंकों का निर्धारण बैंक द्वारा किया जाएगा।

मेरिट लिस्ट: चयन के लिए मेरिट लिस्ट पीके परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी।

5. **पद स्थापना:** अभ्यर्थियों को बैंक की आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकता है।

6. **आवेदन शुल्क और सूचना प्रभार (अप्रतिदेय)**

क्रम संख्या	श्रेणी	राशि(₹)
1.	अजा/अजजा/पीडब्ल्यूडी	100/- (सूचना प्रभार मात्र)
2.	सामान्य तथा अन्य	600/- (सूचना प्रभार सहित आवेदन शुल्क)

7. **आवेदन कैसे करें**

निम्नलिखित के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश/कार्यविधि:

क) आवेदन पंजीकरण ख) शुल्क का भुगतान ग) फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन तथा अपलोड

बैंक की वेबसाइट www.statebankofindia.com या www.sbi.co.in पर ''करिअर्स विद अस'', विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों की भर्ती, शीर्ष को देखें।

8. **परीक्षा के लिए कॉल लेटर:**

अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे अपने कॉल लेटर तथा ''स्वयं जाने नामक पुस्तिका'' अपना पंजीकरण नंबर तथा पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करके बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करें। कॉल लेटर/स्वयं जाने नामक पुस्तिका की प्रति आपको डाक से नहीं भेजी जाएगी।

9. **परीक्षा के समय पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना:** अभ्यर्थी अपने साथ एक फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आएं जैसे कि पासपोर्ट/आधार/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/वोटर कार्ड/बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित फोटो वाला पासबुक/परिचय पत्र जो महाविद्यालय या संस्थान/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो अपने सरकारी मूल लेटर हैड पर लिख कर दे साथ ही उसकी एक स्व-सत्यापित फोटोप्रति लेकर आएं। परीक्षा हॉल में परीक्षकों को पहचान प्रमाण की एक फोटोप्रति कॉल लेटर के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर या फिर यदि अभ्यर्थी की पहचान संबंधी संदेह होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

10. **कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:** अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि वे कोई ऐसे विवरण प्रस्तुत न करें जो कि झूठे, छेड़-छाड़ करके बनाए गए/नकली बनाए गए हों तथा वे आवेदन फॉर्म भरते समय किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाएं नहीं।

परीक्षा/साक्षात्कार के समय, यदि अभ्यर्थी निम्नानुसार दोषी पाया जाता है,

(i) परीक्षा के दौरान गलत तरीके का प्रयोग कर रहा हो या (ii) किसी और की जगह परीक्षा दे रहा हो या फिर अपनी जगह किसी और से परीक्षा दिलवाए जाने के लिए किसी को लाया हो या (iii) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करे या (iv) चयन के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में अनियमित या अनुचित सहारा ले या (v) किसी गलत तरीके से अपनी अभ्यर्थियों हेतु समर्थन जुटाए, तो ऐसे अभ्यर्थी पर आपराधिक मुकदमा चलाए जाने के अलावा:

अ) जिसके लिए वह अभ्यर्थी है उस परीक्षा से उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा,

ब) बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा या भर्ती के लिए या तो स्थायी तौर पर या फिर विशिष्ट अवधि हेतु उसे शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

11. एकरूपता का पता लगाने के लिए शामिल होने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ अभ्यर्थी के जवाबों का विश्लेषण बैंक करेगा। इस विश्लेषण के आधार पर, यदि ऐसा पाया जाता है कि जो जवाब दिए गए हैं और जो अंक प्राप्त किए गए हैं, वे सही नहीं हैं और प्राप्त किए गए अंक असली/मान्य नहीं हैं, तो बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दे।

12. **मोबाइल फोन, पेजर, कैलक्यूलेटर या किसी ऐसे उपकरण का प्रयोग:**

(i) परीक्षा आयोजित किए जाने के परिसर के भीतर पर मोबाइल फोन, पेजर या कोई अन्य संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी और भावी परीक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ii) अभ्यर्थियों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर किसी प्रतिबंधित वस्तु को अपने साथ लेकर न आएं इनमें मोबाइल फोन/पेजर न लाएं, क्योंकि इन्हें सुरक्षापूर्वक रखे जाने कि व्यवस्था नहीं है।

(iii) अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसरों में कैलक्युलेटर अपने पास रखने या फिर इनका प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

12. **सामान्य जानकारी:**

i) अभ्यर्थी स्वयं इस बात से संतुष्ट हो लें कि जिस पद हेतु उन्होंने आवेदन किया है वे उस हेतु पात्र हैं। बैंक ऑनलाइन परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर अपेक्षित शुल्क के साथ सभी पदों हेतु ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति देगा और उसकी पात्रता मात्र साक्षात्कार के समय ही जांची जाएगी।

ii) जो अभ्यर्थी राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सेवा कर रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से लिया हुआ ''अनापत्ति प्रमाणपत्र'' प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई यात्रा खर्च अन्यथा स्थिति में देय भी हुआ तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।

iii) चयन होने की स्थिति में, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वे नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता से लिया गया उचित सेवामुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

iv) यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

v) अपिव श्रेणी में आरक्षण मांगने वाले अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। जिसमें लिखा होगा कि वह 30.11.2015 को क्रीमी लेयर में नहीं आते है।

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर, अभ्यर्थी को 01.04.2015 से साक्षात्कार तिथि तक की अवधि के दौरान जारी किया अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज शामिल हो, जमा कराना होगा।

vi) अभ्यर्थियों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते रहें क्योंकि इन्टरनेट पर भारी बोझ होने या वेबसाइट जाम होने की वजह से वेबसाइट का कनेक्शन टूट जाए या तब कार्य कर पाने की स्थिति में न हो या फिर उस समय यह न हो पाए उसकी संभावना से बचा जा सके।

vii) पूर्वोक्त कारणों या एसबीआई के नियंत्रण से परे के किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि तक के समय में जो आवेदन प्रस्तुत न हो पाएंगे उनके लिए एसबीआई उत्तरदायी नहीं होगा।

viii) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन नहीं किया जाना चाहिए। कई आवेदन करने की दशा में, मात्र अंतिम मान्य (भरा हुआ) आवेदन ही रखा जाएगा और अन्य पंजीकरणों हेतु भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क ज़ब्त कर लिए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा में एकाधिक उपस्थिति/परीक्षा और सक्षात्कार में भाग लेने का कार्य यदि अभ्यर्थी करता है, तो बिना कारण बताए निकाल दिया जाएगा/उसकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा।

ix) परीक्षा को करवाए जाने में आनेवाली कुछ समस्याओं की संभावना से तो पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, जिनसे परीक्षा लिए जाने तथा/अथवा इनका परिणाम बनाए जाने पर असर हो सकता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी हर समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें आवश्यक होने पर एक और परीक्षा करवाया जाना शामिल हो सकता है।

x) **भर्ती की किसी भी चरण में यदि ऐसा पता चलता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तथा/अथवा यह कि उसने कोई जानकारी गलत/झूठी दी है या उसने कोई महत्वपूर्ण तथ्य (एकाधिक) छिपाया है, तो उसकी अभ्यर्थिया रद्द हो जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी यदि ऐसी किसी कमी का पता चलता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।**

xi) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ईमेल आईडी को सक्रिय रखे ताकि उन्हें कॉल लेटर/साक्षात्कार की सूचना आदि मिलती रहे।

xii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित बैंक की अपेक्षानुसार चिकित्सीय रूप से योग्य घोषित किए जाने के अध्ययीन रहेगी।

xiii) **पात्रता, परीक्षा का आयोजन, अन्य परीक्षाएं और चयन संबंधी सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम तथा सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होंगे। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी पत्र-व्यवहार या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

xiv) इस विज्ञापन तथा/अथवा इसके जवाब में प्राप्त किसी आवेदन के कारण किसी दावे या विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में हर कानूनी कार्यवाही सिर्फ मुंबई में ही शुरू की जाएगी तथा मुंबई में ही स्थित न्यायालयों/ न्यायाधिकारणों/ मंचों/ को ही ऐसे वाद/विवाद निपटाने का एकमात्र तथा विशेष क्षेत्राधिकार रहेगा।

मुंबई - 400021
दिनांक: 25.11.2015

महाप्रबंधक